

12

‘प्ररूप 26’

(नियम 4क देखिए)

C. NO-24384. A.O.NO-95
RS-105.0037 राजनायर (कुर्यान्त)

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए
रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्रमाग -कमैं कांगड़ा राजनीतिक दल **पुत्र/पुत्री/पत्नी महेश्वर कुमार आयु 56 वर्ष, जो
37 राजनायर (कुर्यान्त)

(डाक का पूरा

पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, तत्वनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ
पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-(1) मैं कांगड़ा राजनीतिक दल (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा
किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 37 राजनायर (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग
सं. 213 के क्रम सं. 859 पर प्रविष्ट है।(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9955513552 है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)
नहीं है।

Solemnly affirmed/declared by
Ram Lal Jha
Who has been Indentified by
Sri/Smt. R.K. Jha
Sanjeev Kumar Jha
NOTARY MADHUBANI (BIHAR)



STAMP DUTY
0 0 0 0 0
भारत
INDIA
प्रधान
JUDICIAL
374146

प्रधान
JUDICIAL
374146
985 9831427

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर दिवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1	स्वयं	गृही	गृही	गृही
2	पति या पत्नी	गृही	गृही	गृही
3	आश्रित-1	गृही	गृही	गृही
4	आश्रित-2	गृही	गृही	गृही
5	आश्रित-3	गृही	गृही	गृही

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारबास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारबास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	गृही
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	गृही
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	गृही
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई है	गृही
(ङ)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	गृही
(च)	क्या संभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ हैं	गृही



(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा सज्ञान लिया गया है

{पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है:

यदि आभेसासा उपयुक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और चालाकिया किया जाया है, तो नहीं निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	नहीं



(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के बौरे नीचे देता हूँ।

अ. जंगम आस्तियों के बौरे :

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित बौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में कातू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4— यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की घारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5— रकम सहित बौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकताया दिए जाने हैं।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	हाथ में नक्दी					
(ii)	बैंक खातों में जमा के बौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थायों, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी लोकाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	५०८५०० ५०८५००	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के बौरे और रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, दीमा पालिसियों में विनिधान के बौरे और डाकघर या दीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखितों में विनिधान और रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास					

	आदि को दिए गए वैयक्तिक क्रण/अग्रिम और क्रणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	नदी	नदी	नदी	नदी	नदी
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट /पोत (मैक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	३५७० ३२६८ ३५८५ ३११	नदी	नदी	नदी	नदी
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	१०००० १०००० १०००० १००००	नदी	नदी	नदी	नदी
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/हित का मूल्य	नदी	नदी	नदी	नदी	नदी
(ix)	समग्र कुल मूल्य					

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 — संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 — प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	१२५	नदी	नदी	नदी	नदी
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नदी	नदी	नदी	नदी	नदी
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नदी	नदी	नदी	नदी	नदी
	विकास, सौनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नदी	नदी	नदी	नदी	नदी
(ii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	५५००००	नदी	नदी	नदी	नदी
	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	१५८	नदी	नदी	नदी	नदी
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)		नदी	नदी	नदी	नदी
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)		नदी	नदी	नदी	नदी

2.5.16.

	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	गढ़ी	नढ़ी	गढ़ी	नढ़ी
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नढ़ी	नढ़ी	नढ़ी	नढ़ी (गढ़ी)
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	गढ़ी	नढ़ी	नढ़ी	नढ़ी (गढ़ी)
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी (गढ़ी)
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	नढ़ी	गढ़ी	गढ़ी	नढ़ी (गढ़ी)
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी (गढ़ी)
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी (गढ़ी)
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी (गढ़ी)
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी (गढ़ी)
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी (गढ़ी)
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी (गढ़ी)
(iv)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी (गढ़ी)
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी (गढ़ी)
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी (गढ़ी)
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी (गढ़ी)
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी (गढ़ी)
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी (गढ़ी)
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी (गढ़ी)
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी	गढ़ी (गढ़ी)



20/12/2012

	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नडी	गडी	नदी	नदी	गडी
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	नडी	गडी	नदी	नदी	गडी
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	नदी	नडी	नदी	नदी	गडी

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण :— कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के बौरों का पथक विवरण दे)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	नडी	नडी	नदी	नदी	गडी
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	नडी	नडी	नदी	नदी	नदी
	कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग	नडी	नडी	नदी	नदी	गडी
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नडी	नडी	नदी	नदी	गडी
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नडी	नडी	नदी	नदी	गडी
	आय-कर शोध्य धनकर शोध्य सेवाकर शोध्य नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	नडी	नडी	नडी	नडी	गडी
	विक्रयकर शोध्य					

	कोई अन्य शोध्य	बहू	बहीं	बहीं	बहीं	बहू
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	बहू	बहीं	बहीं	बहीं	बहीं
(iv)	वया कोई अन्य वायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके सम्बन्ध यह लंबित है का वर्णन करें।	बहीं	बहू	बहीं	बहीं	बहू

(9) वृत्ति या उपजीविका के बारे :

(क) स्वयं कुमिता शाम प्रभात रात्रि उत्तर्य
 (ख) पंडित या पत्नी कृतेषी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

୪୮

(प्रामाण्यपत्र, डिलोगा, डिप्री-पाठ्यक्रम के पूर्ण वार्षम का उत्तरदेख करते हुए जनवरी विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दे)

भाग-संख्या

(11) भाग—क के (1) से (10) तक में दिए गए व्यौरे का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुण्ठि विजय कुमार
2.	डाक का पता	श्री - बैरीनपुर पोस्ट ऑफिस मार्ग - बैरीनपुर छोटा - मौजूदा
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	37 सजगवार दूरधिनी
4.	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	कांगड़ा
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	नहीं
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है	नहीं



(ऊपर नद (i) उत्तिलिखित मामलों से भिन्न)


6. ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है।
 (लोक प्रतिनिधित्व
 अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा
 (1). उपधारा (2) या उपधारा
 (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)

नहीं

	का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
7. (क) अभ्यर्थी	नहीं	नहीं	जरी
(ख) पति या पत्नी	नहीं	नहीं	जरी
(ग) आन्तित	नहीं	नहीं	नहीं

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)

	विवरण	स्वय	पति या पत्नी	आन्तित १	आन्तित २	आन्तित ३
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)					
ख.	स्थावर आस्तियां					
I	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागत हो)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	45,000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



2.5.14.

9.	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	नये	नड़ी	नये	नड़ी	नये
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नये	नये	नये	नये	नये
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	नये	नये	नये	नये	नये
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	नड़ी	नये	नये	नये	नये
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नड़ी	नये	नड़ी	नये	नये

11. उच्चतम शैक्षिक अहंता :

कूतु

(प्राप्ति पत्र / दिल्ली विधान सभा के पूर्ण प्रस्तुति अनुसार उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय / विद्या
विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यारे दें।)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्परिक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का भामला या लंबित भामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का भामला या लंबित भामला नहीं है :

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग के की मद 7, 8 और 9 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख २५/१०/१६ को सत्यापित किया गया।

Identify the declarant who has
Signed/put L.R.T.I. in my presence

Sanjeev Kumar
Advocate

रामविनाश सेठी

२५/१०/१६

१०



- टिप्पण— 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण— 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण— 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण— 4. शपथपत्र टंकित या सुपाद्यरूप से साफ—साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण— 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अम्यर्थीयों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अम्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अम्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो “शून्य” या “लागू नहीं या ज्ञात नहीं जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अम्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अंसवीकृत कर दिये जायेंगे।
- टिप्पण— 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
 “मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ हैं/हैं.....
 मेरा ई-मेल आई० डी० (अगर कोई हो) है.....
 एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....
- टिप्पण— 7. शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।

